

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 306/12 सत्रवाद
संस्थित दिनांक 19.11.2012

दाताराम सिंह पुत्र रामचरनसिंह उम्र 60 वर्ष
जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम चंदपुरा मजरा
आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
.....अभियोगी

बनाम

बीरेन्द्र पुत्र दाताराम सिंह उम्र 36 वर्ष। निवासी ग्राम
चंदपुरा थाना गोहद, जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
.....अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथमश्रेणी गोहद श्री केशवसिंह के
न्यायालय का मूल आपराधिक प्र०क्र० 452/07 इ०फौ० से
उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र० 306/12

राज्य द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०
अभियुक्त द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

// आदेश //

अन्तर्गत धारा 232 द०प्र०सं०

(आज दिनांक 25-04-2016 को पारित किया)

01. अभियुक्त का विचारण धारा 302 विकल्प में धारा 302/34 भा०द०सं० के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है उस पर आरोप है कि दिनांक 27-28-4-06 की दरमियानी रात ग्राम चंदपुरा मजरा आलौरी थाना गोहद में मृतक जितवारसिंह की साआशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की विकल्प में यह भी आरोप है कि अन्य सह आरोपीगण काशीप्रसाद व राजबीर के साथ मिलकर मृतक जितवार की हत्या कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रशरण में कार्य करते हुये साआशय या जानबूझकर उसकी हत्या कारित की ।

02. प्रकरण जो कि परिवादपत्र के आधार पर दर्ज हुआ है। आरोपी काशीप्रसाद की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई है तथा आरोपी राजवीर के संबंध में पूर्व में निर्णय हो चुका है।

03. परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र के आधार पर प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 27-28/4/06 की दरमियानी रात अभियोगी दाताराम और उसके भाई जितवारसिंह दरवाजे के बाहर चबूतरे पर खाटों पर सौ रहे थे। रात्रि के समय राजवीरसिंह, काशीप्रसाद, वीरेन्द्रसिंह एवं एक अज्ञात व्यक्ति अभियोगी के भाई को जगाकर अपने साथ ले गये। अभियोगी के पूछने पर उन्होंने बताया कि जितवारसिंह से चर्चा हुई है जिस पर विश्वास करते हुये अपने भाई को उनके साथ जाने दिया। उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा उसके भाई जितवारसिंह को मारपीट कर जान से मारकर बवूल के पेड पर फांसी का फंदा लगाकर टांग दिया। जिस घटना को निरंजन व उदयवीरसिंह ने देखा और मृतक जितवारसिंह की बचाओ बचाओ की आवाज सुनी थी। उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 28-6-04 को थाना गोहद पर की गई जहां कि उसकी सूचना पर पुलिस वालों ने अंगूठा निशानी लगा लिया किन्तु उसको प्रथम सूचना की कोई नकल नहीं दी। जितवारसिंह की पत्नी का निधन 2 वर्ष पूर्व हो गया था उसकी पत्नी के जेवर, रुपया आदि राजवीरसिंह की मां बादामीवाई के पास रखा था जिसकी पूरी जानकारी राजवीरसिंह, काशीप्रसाद व वीरेन्द्रसिंह को है घटना के तीन माह पहले से जितवारसिंह ने राजवीरसिंह वगैरा से अपना सूटकेस मय जेवरात व रुपयों के मांगना शुरू कर दिया था जिस पर उनके द्वारा टालमटोल किया जाता रहा और झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दी जा रही थी फरियादी के द्वारा पुलिस थाना गोहद में तात्कालीन टी0आई0 को भी कार्यवाही करने के संबंध में कहा लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत की किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस पर परिवादी के द्वारा परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया। परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र के आधार पर संबंधित जे0एम0एफ0सी0 के द्वारा परिवादी एवं साक्षियों के प्रारंभिक कथन लिये जाकर परिवादपत्र के आधार पर राजवीरसिंह, काशीप्रसाद व वीरेन्द्रसिंह के विरुद्ध धारा 302, 120वीं भा0द0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया जो कि आरोपी काशीप्रसाद की मृत्यु प्रकरण के विचारण के दौरान हो जाने पर तथा अन्य सह आरोपी वीरेन्द्रसिंह को फरार होना बताते हुये प्रकरण संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपी वीरेन्द्र के विरुद्ध धारा 302 विकल्प में धारा 302/34 भा0द0सं0 के अपराध के लिये आरोप लगाये जाकर पढकर सुनाये व समझाये गये आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. आरोपी का धारा 313 द०प्र०सं० के तहत आरोपी परीक्षण किया गया आरोपी परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया ।

06. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या दिनांक 27-28/4/06 की दरमियानी रात ग्राम चंदूपुरा मजरा आलोरी में मृतक जितवारसिंह की साआशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की?
2. क्या आरोपी के द्वारा अन्य सह आरोपीगण के साथ मृतक जितवारसिंह की हत्या का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुये जितवार सिंह की मृत्यु कारित कर हत्या की?

::- निष्कर्ष के आधार:-:

बिन्दु क्रमांक 1 व 2:-

07. मृतक जितवारसिंह की मृत्यु का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में अभियोगी दाताराम आ०सा०-2 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि मृतक जो कि उसका छोटा भाई था रात को वह चला गया था सुबह मालूम पडा कि पेड पर रस्सी से फांसी लगी हुई है जिसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने लाश उतारकर देखा था और सफीना फार्म प्र०पी०-2 जारी किया था और नक्शा पंचायतनामा प्र०पी०-3 बनाया था तथा घटना स्थल का नक्शामौका प्र०पी०-4 बनाया था। इसी प्रकार साक्षी उदयवीरसिंह आ०सा०-4 ने भी जितवारसिंह के पेड पर रस्सी से फांसी लगे होने की बात बता रहा है। जितवारसिंह की मृत्यु हो जाना डॉक्टर आलोक शर्मा आ०सा०-1 जिनके द्वारा मृतक जितवारसिंह का पोस्टमार्टम किया गया है के द्वारा भी बताया गया है। जिन्होंने मृतक के गले के चारों तरफ नाईलोन की रस्सी का फंदा होना पाया था जो कि आगे की तरफ तिरछा तथा थायरायड हड्डी के उपर था और फंदे की गठान वाई तरफ जवडे के नीचे तक थी गठान स्लाईडिंग प्रकार की थी गर्दन में फंदे के निशान मौजूद थे जिसकी चौड़ाई 1.2 से०मी० थी घाव मौजूद था। अपने अभिमत में उनकेद्वारा यह बताया गया है कि मृतक की मृत्यु फांसी से दम घुटने के कारण होना संभावित है जो कि 6 से 24 घंटे के भीतर की थी।

08. इस प्रकार मृतक जितवारसिंह की मृत्यु हो जाने का तथ्य प्रमाणित है। अब विचारणीय हो जाता है कि क्या मृतक जितवारसिंह की मृत्यु मानबबद्ध की कोटि का होकर हत्या के स्वरूप का है? क्या आरोपी के द्वारा साआशय या जानबूझकर हत्या की गई ?

09. मृतक जितवारसिंह के चिकित्सीय परीक्षण में चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा के द्वारा गले की राशि के फंदे के अलावा उसके शरीर पर दांये वखा में नील का निशान 10 गुणित 2

से०मी० दाईं पिडली में रगड का निशान 3 गुणित 2.5 से०मी० तथा बाईं भुजा में 2 गुणित डेढ से०मी० का रगड का निशान होना पाया था। इसके अतिरिक्त उसके शरीर पर अन्य कोई भी चोट होनी नहीं पाई गई है जैसा कि प्रतिपरीक्षण में उनके द्वारा बताया गया है तथा इस बात को भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मृतक के शरीर में संघर्ष के भी कोई निशान नहीं थे तथा शरीर पर जो चोट आना बताई जा रही है वह पेड पर चढ़ते वक्त तने और झाड़ियों से भी आना संभावित है।

10. इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षी दाताराम आ०सा०-2 के कथनों में कहीं भी परिवादपत्र में दर्शाये गये तथ्यों जिसमें वर्तमान आरोपी बीरेन्द्र को उसके द्वारा देखे जाने और उसके भाई जितवार को साथ में ले जाने का कोई तथ्य नहीं आया है। उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं। इस दौरान भी उसके कथनों में आरोपी बीरेन्द्र के संबंध में कि उसके द्वारा कोई घटना की गई या घटना में किस प्रकार से संलिप्त था कोई तथ्य नहीं आया है तथा साक्षी के प्रतिपरीक्षण के कथनों से भी स्पष्ट है कि आरोपी बीरेन्द्र घटना में किसीप्रकार शामिल होने से उसके द्वारा इंकार किया जा रहा है।

11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी निरंजन अ०सा०-3 तथा साक्षी उदयवीरसिंह अ०सा०-4 के कथनों में भी आरोपी बीरेन्द्र के संबंध में कोई ऐसी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे कि उक्त आरोपी के घटना स्थल पर जाते हुये देखे जाने अथवा उसकी घटनास्थल पर मौजूद होने के तथ्य की कोई संपुष्टि होती हो। ऐसी दशा में उक्त साक्षियों के कथनों में भी आरोपी बीरेन्द्र को दोषसिद्ध ठहराने हेतु कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य विद्यमान होनी नहीं पाई जाती।

12. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में कोई भी सीधा साक्ष्य अथवा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस आशय की नहीं आई है जिससे कि आरोपी बीरेन्द्र को घटना में संलिप्त होना अथवा उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने हेतु कोई आधार हो।

13. तदनुसार आरोपी बीरेन्द्र पुत्र रामचरनसिंह को दोषसिद्ध ठहराये जाने हेतु कोई साक्ष्य विद्यमान ना होने से आरोपी बीरेन्द्र को धारा 302 विकल्प में धारा 302/34 भा०द०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड